डी पी एच सी एल
DPHCL

6ठी वार्षिक रिपोर्ट

6th ANNUAL REPORT

2012-13

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल
DPHCL

6ठी वार्षिक रिपोर्ट
6th ANNUAL REPORT

2012-13

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 011-23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

विषय–सूची | Contents

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	कंपनी सूचना Company Information	1
2.	नोटिस Notice	2
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Function of DPHCL	6
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Directors Report	10
5.	संशोधित टिप्पणी Revised Notes	13
6.	तुलन–पत्र Balance Sheet	14
7.	लाभ और हानि का विवरण Statement of Profit and Loss	16
8.	वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणियां Notes Forming Part of Financial Statements	18
9.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Auditor’s Report	27
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां Comments Of The Comptroller And Auditor General Of India	31

कंपनी सूचना
COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2012–2013)
Board of Directors (2012-2013)

श्री बृजेश कुमार गुप्ता
Sh. Brijesh Kumar Gupta
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 16-12-2010 से/to 03-09-2012)

श्री नीरज कुमार
Sh. Neeraj Kumar
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 03-09-2012 से/to 31-07-2013)

श्री मोहन नारायण थोततुवा
Sh. Mohan Narayanan Thottuva
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 16-12-2010)

डॉ. शब्द प्रकाश बंसल
Dr. Shabd Prakash Bansal
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007)

डॉ. अवधेश कुमार सक्सेना
Dr. Awdhesh Kumar Saxena
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 22-06-2012)

डॉ. दीवान राम टम्टा
Dr. Diwan Ram Tamta
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 17-12-2012 से/to 08-02-2013)

श्री अरुण गोयल
Sh. Arun Goyal
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 02-09-2011 से/to 03-09-2012)

श्री अजय चगती
Sh. Ajay Chagati
नामित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 02-09-2011 से/to 22-06-2012)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
कार्यालयः 191, गली बताशां,
चावड़ी बाज़ार,
दिल्ली – 110006

Statutory Auditors
M/s. Sunder Sharma & Company
Chartered Accountants
Office : 191, Gali Batashah,
Chawari Bazar,
Delhi – 110006

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

Bankers
State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

Registered Office :
Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 6ठी वार्षिक आम बैठक 27 सितंबर, 2013 को 12:30 बजे पुलिस आयुक्त चैंबर, 2री मंजिल, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली–110 002 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगीः

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2013 को तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि के लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों, तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियॉं सहित पर विचार करना, अपनाना।

2. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2013–14 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारित करना और और निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

   "**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8)(एए) के प्रावधानों के अनुसरण में निगम के निदेशक मंडल को वर्ष 2013–14 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।"

विशेष व्यापारः

3. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

   "**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री भीम सेन बस्सी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को एतद्द्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27.9.2013

(टी. एन. मोहन)
प्रबंध निदेशक

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Tele No. 23490357 e-mail : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the sixth Annual General Meeting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** will be held on 27th Day of September 2013 at 12:30 PM. in the Chamber of Commissioner of Police 2nd Floor, Police Headquarters, New Delhi-110002 to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2013 and Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed of thereto, together with Reports of the Board of Directors and Statutory Auditors for that year and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

2. To fix the remuneration of M/s Sunder Sharma & Co. Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for the year 2013-14 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the followinfg resolution an ordinary resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions Section 224(8) (aa) of the Companies Act,1956, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of M/s Sunder Sharma & Co. Chartered Accountants Statutory Auditors, to be appointed by the Comptroller and Auditor General **of** India for the year 2013-14."

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **ordinary resolution;**

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Commpanies Act,1956 and Articles 68 of the Articcles of Association of the Company, Sh. Bhim Sain Bassi, Commissioner of Police Delhi, be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

By order of the Board of Directors

(T.N. Mohan)
Managing Director

Place : New Delhi
Dated : 27.9.2013

<u>टिप्पणीः</u>

1. बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का खाली प्ररूप संलग्न है और यदि प्रयुक्त करने का इरादा है, वार्षिक आम बैठक के शुरु होने के 48 घंटे से पहले कंपनी में जमा कर देना चाहिए।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं.3

श्री भीम सेन बस्सी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है। कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 और कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार श्री भीम सेन बस्सी को स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

निदेशक मंडल श्री भीम सेन बस्सी को निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारको अनुमोदन हेतु संस्तुत करते हैं ।

श्री भीम सेन बस्सी को छोड़कर कोई भी निदेशक प्रस्तावित संकल्प में इच्छुक नहीं है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
ह.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27.09.2013

(टी. एन. मोहन)
प्रबंध निदेशक

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the company. A blank form of proxy is enclosed and if intended to be used, it should be returned to the company not less than forty-eight hours before the Annual General Meeting duly completed.

2. Explanatory statement Pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 is attached herewith.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT 2013

ITEM NO. 3

Sh. Bhim Sain Bassi, Commissioner of Police, Delhi, was appointed director on the Board of the Company. As per the requirements of the Article 68 of the Articles of Association of the Company and the Company Act,1956 Sh. Bhim Sain Bassi is proposed to be appointed as a Permanent Director not liable retire by rotation.

The Board recommends the appointment of Sh. Bhim Sain Bassi as a Director for approval by the shareholders.

None of the Directors except Sh.Bhim Sain Bassi is interested in any way in the proposed resolution.

By order of the Board of Directors

(T.N. Mohan)
Managing Director

Place : New Delhi
Dated : 27.09.2013

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर –दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer– One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum-Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :–

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012– यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक – दो
2. स्वतंत्र निदेशक – दो
3. कार्यकारी निदेशक – दो

सरकारी निदेशक :– डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली – पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर–सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा **अनुसूची 'ग' सीपीएसई** कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई–मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017–2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टों, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS : DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :- The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019–यूटीपी/ भास/गृमं के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रुप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBII, dated 6th September, 2019.

विलंब कथन

(वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019–यूटीपी/ भास/गृमं के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007–08 से 2018–19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBII, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on deted 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि की 6ठीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

कंपनी अभी भी प्रचालन के प्रारंभिक स्तर पर है, अतः 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का कुल राजस्व रु.122,196,712/– है और रु. 9,021,785/– लाभ है जिसे अवधि के दौरान, सभी खर्चों को पूरा करने के बाद तुलन–पत्र में ले जाया गया था।

लाभांश

कंपनी ने अभी ही अपनी गतिविधि शुरू की है, निदेशक मंडल ने किसी भी लाभांश को संस्तुत नहीं किया है।

मियादी निवेश

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनता से कोई मियादी निवेश न स्वीकार किया है न नवीकृत किया है।

धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना लागू नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा संरक्षण

चूंकि कंपनी विनिर्माण व्यापार में शामिल नहीं है, अतः इसके प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं हुआ है तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विवरणों का प्रकटीकरण), नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (इ) संबंधी विवरण अपेक्षित नहीं है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड का गठन इस प्रकार है:

1. अध्यक्ष

   श्री भीम सेन बस्सी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली

2. प्रबंध निदेशक

   श्री टी. एन. मोहन, विशेष पुलिस उपायुक्त, दिल्ली

DIRECTOR'S REPORT

Dear Shareholders,

Directors of your Company have the pleasure to present their 6th Annual Report for the year ended 31st March, 20013.

FINANCIAL RESULTS

The Company is at its initial stage of operations therefore, during the financial year ending 31st March, 2013 the company has total revenue of Rs.122,196,712/- and profit of Rs.9,021,785/- which was transferred to the balance sheet after meeting out all expenses and taxes during the period.

DIVIDEND

Since the company is at its initial stage of operations, the Board has recommended no dividend.

FIXED DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any fixed deposits from public during the year under review.

PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217 (2A)

During the year under review, the information required under section 217(2A) of the Companies Act, 1956, is not applicable.

ENERGY CONSERVATION AND TECHNOLOGY ABSORPTION

Energy Conservation

Since the Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operations and as such no specific methods have been adopted to conserved energy.

The particulars pursuant to Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Disclosure of Particulars on Report of Board of Directors) Rules, 1988 are not required.

DIRECTORS

The Board of Directors consists of a Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi a Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The constitution of the Board during the year is as follows:

1. Chairman

   Shri Bhim Sain Bassi, Commissioner of Police, Delhi.

2. Managing Director

   Shri T. N. Mohan, Special Commissioner of Police, Delhi.

3. डॉ. शब्द प्रकाश बंसल, अपर आयुक्त (योजना), दिविप्रा, प्रतिनिधि दिल्ली विकास प्राधिकरण।

4. डॉ. ए. के. सक्सेना, निदेशक (दिल्ली), गृह मंत्रालय, प्रतिनिधि गृह मंत्रालय।

वर्ष के दौरान, निगम के निदेशकों श्री नीरज कुमार, श्री डी. आर. टम्टा का निगम के निदेशक के पद से कार्यकाल समाप्त हो गया। बोर्ड उन्हें उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके अमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है।

अवधि के दौरान, श्री भीम सेन बस्सी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को निगम का निदेशक और बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 22.06.2012 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों की लेखापरीक्षा समिति को अनुमोदित किया:

1. श्री टी. एन. मोहन, प्रबंध निदेशक

2. डॉ. एस. पी. बंसल, निदेशक

3. डॉ. ए. के. सक्सेना, निदेशक

निदेशकगण का उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुसरण में कंपनी के निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

i. वार्षिक लेखे को तैयार करने में उचित प्रस्तुत सामग्री से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ii. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्य व्यवहार और अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया तथा लगातार लागू किया एवं निर्णय और प्राक्कलन किया, जो कि उचित और विवेकी है।

iii. निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है

iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 08. 082013 पत्र सं. सीए.V /सीओवाई/ सैंट्रल गवर्नमेंट /डीपीएचसी (1)/252 द्वारा मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कं.,

3. Dr. Shabd Prakash Bansal, Addl. Commissioner (Planning), DDA, a representative of the Delhi Development Authority.

4. Dr. A. K. Saxena, Director (Delhi), Ministry of Home Affairs, a representative of the Ministry of Home Affairs.

Shri Neeraj Kumar, Shri D. R. Tamta, Directors of the Corporation have ceased to be Diretors of the Corporation during the year. The Board wishes to place on record its sincere appreciation for the valuable contributions made by them during their tenure.

During the period Shri Bhim Sain Bassi, Commissioner of Police, Delhi, was appointed as Director and Chairman on the Board of the Corporation.

AUDIT COMMITTEE OF DIRECTORS

The Audit Committee comprising the following members of the Board was approved by the Board of Directors in their meeting held on 22.06.2012:

1. Sh. T. N. Mohan, Managing Director

2. Dr. S. P. Bansal, Director

3. Dr. A. K. Saxena, Director

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 Directors of the company confirm that:

i. In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with Proper explannation relating to material departures.

ii. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit & loss of the Company for that period.

iii. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities, and

iv. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

STATUTORY AUDITORS

The Comptroller & Auditor General of India vide letter no.CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT,DHPC(1)/252 dated 08.08.2013 appointed M/S Sunder Sharma

191, गली बताशां,चावड़ी बाजार को वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी द्वारा लेखों पर टिप्पणियों सहित प्रस्तुत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और कोई पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 27.09.2013 के पत्र सं. 161/पीडीसीए/एचएस/डीपीएचसीएल/एमएबी4/ए/सीएस/13–14/2898 के द्वारा 31 मार्च, 2013 की वित्तीय विवरणिकाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है अतः भारत के महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर अपेक्षित नहीं है।

सराहना

कंपनी के निदेशकगण निगम के मामले को अग्रसक्रिय रूप से कार्यात्मक करने के लिए गृह मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड, श्री टी. एन. मोहन, प्रनि/डीपीएचसी को निगम के मामले को आगे बढ़ाने तथा निगम के प्रचालन को उत्साह से गति देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

आभारोक्ति

आपका निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्णरूपेण तथा बाधारहित सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के बैंकर, कंपनी के सनदी लेखाकार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा विभिन्न परामर्शदाता एसोसिएट्स का कंपनी को बहुमूल्य सहायता देने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। हम सुश्री आशु गुप्ता, निगम के विधि सलाहकार का कंपनी की स्थापना और कंपनी के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए उनकी सतत् सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों और भिन्न स्तरों से लिए गए कंपनी के स्व–अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कर्मचारियों के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके उमंग और उत्साह से कंपनी अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(भीम सेन बस्सी)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 27.09.2013

& Co., 191 Gali Batashan, Chawari Bazar, Delhi as Company's Statutory Auditors for the year 2013-2014.

AUDITORS' REPORT

The Auditors' Report submitted by M/s Sunder Sharma & Co, Chartered Accountants alongwith notes to accounts is self-explanatory and requires no separate comments.

MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF THE CAG

Management Reply to the comments of Comptroller and Auditor General of India in Audit Report is not required as COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA vide his letter No.161-PDCA/HS/DPHCL /MAB4/A/cs/13-14/2898 dated 27.09.2013 have made NIL comments on the financial statements for the year ended 31st March 2013.

APPRECIATION

Directors of the Company wish to express their sincere gratitude to the Ministry of Home Affairs and Department of Public Enterprises in proactively taking up the Corporation affairs. The Board places on record their sincere gratitude for Shri T. N. Mohan, MD/DPHC for pursuing the Corporation matters and to speed up the operations of the Corporation with zeal.

ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCT and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company, Chartered Accountant of the Company, Statutory Auditors of the company and various consulting associates for giving valuable advice to the Company. We are also thankful to the Ms. Ashu Gupta, Company Law Advisor of the Corporation for her untiring efforts in organizing the affairs of the Corporation. Last but not the least; your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors

(Bhim Sain Bassi)

Chairman

Place : New Delhi.

Dated: 27.09.2013

संशोधित टिप्पणी सं. 1

शेयर पूंजी	31.03.2013		31.03.2012	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत				
प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर	1,000,000	100,000,000	1,000,000	100,000,000
जारी				
प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त और प्रदत्त				
प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
कुल	**500,000**	**50,000,000**	**500,000**	**50,000,000**

शेयरों की कुल सं. का समाधान	31.03.2013		31.03.2012	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापिस लिए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

5% से अधिक के शेयरों को धारण करने वाले शेयर धारक	31.03.2013		31.03.2012	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
भारत के राष्ट्रपति	499,940	49,994,000	499,940	49,994,000

अन्य विवरण और अधिकार

कंपनी का एक ही प्रकार का शेयर है जो प्रति रुपए 100/– के सममूल्य पर जारी किया है।

Revised Notes No.1

SHARE CAPITAL	31.03.2013		31.03.2012	
	No.	Amount	No.	Amount
Authorised				
Equity shares of Rs.100 each	1,000,000	100,000,000	1,000,000	100,000,000
Issued				
Equity shares of Rs.100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed and Paid up				
Equity shares of Rs. 100 each Fully Paid up	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Total	**500,000**	**50,000,000**	**500,000**	**50,000,000**

RECONCILIATION OF NUMBER OF SHARES	31.03.2013		31.03.2012	
	No.	Amount	No.	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

DETAILS OF THE SHAREHOLDERS HOLDING MORE THAN 5% SHARES	31.03.2013		31.03.2012	
	No.	Amount	No.	Amount
President of India	499,940	49,994,000	499,940	49,994,000

OTHER DETAILS AND RIGHTS

The Company has only one class of shares issued at par value of Rs.100 each

31 मार्च, 2013 को तुलन–पत्र

विवरण	टिप्पणी सं0	31.03.2013 को आंकड़े (रु)	31.03.2012 को आंकड़े (रु)
ईक्विटी और देयताएं			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	1	50,000,000	50,000,000
आरक्षित और अधिशेष	2	27,808,610	18,786,825
शेयर वारंट के लिए प्राप्त धनराशि			
शेयर आवंदन राशि लंबित आवंटन		–	–
गैर–चालू देयताएं			
दीर्घावधि ऋण		–	–
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		–	–
अन्य दीर्घावधि देयताएं		–	–
दीर्घावधि प्रावधान		–	–
चालू देयताएं			
अल्पावधि ऋण		–	–
व्यवसाय भुगतान		–	–
अन्य चालू देयताएं	3	8,207,027	8,364,639
अल्पावधि प्रावधान	4	4,298,274	1,750,959
कुल		**90,313,911**	**78,902,423**
आस्तियां			
गैर–चालू आस्तियां			
स्थिर आस्तियां			
मूर्त आस्तियां		–	–
अमूर्त आस्तियां		–	–
कायशील पूंजी		–	–
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां			
गैर–चालू निवेश		–	–
आस्थिगित कर आस्तियां (निवल)	5	–	43,775
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम		–	–
अन्य गैर–चालू आस्तियां		–	–
चालू आस्तियां			
चालू निवेश		–	–
माल सूची		–	–
व्यापार प्राप्य		–	–
नकद और नकद समकक्ष	6	77,504,606	68,618,624
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	7	2,555,186	906,000
अन्य चालू आस्तियां	8	10,254,119	9,334,024
टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का भाग हैं।	**1-23**		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**24**		
कुल		**90,313,911**	**78,902,423**

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन
ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2013

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष

ह.
(टी. एन. मोहन)
प्रबंध निदेशक

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2013

Particulars	Note No.	Figures As at 31.03.2013 (Rs.)	Figures As at 31.03.2012 (Rs.)
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholder's Funds			
Share Capital	1	50,000,000	50,000,000
Reserves and Surplus	2	27,808,610	18,786,825
Money received against share warrants			
Share application money pending allotment		-	-
Non-Current Liabilities			
Long-term borrowings		-	-
Deferred tax liabilities (Net)		-	-
Other Long-Term liabilities		-	-
Long Term provisions		-	-
Current Liabilities			
Short-term borrowings		-	-
Trade Payables		-	-
Other current liabilities	3	8,207,027	8,364,639
Short-term provisions	4	4,298,274	1,750,959
Total		**90,313,911**	**78,902,423**
ASSETS			
Non-current assets			
Fixed assets			
Tangible assets		-	-
Intangible assets		-	-
Capital work-in-progress		-	-
Intangible assets under development			
Non-current investments		-	-
Deferred tax assets (net)	5	-	43,775
Long term loans and advances		-	-
Other non-current assets		-	-
Current assets			
Current investments		-	-
Inventories		-	-
Trade receivables		-	-
Cash and cash equivalents	6	77,504,606	68,618,624
Short-term loans and advances	7	2,555,186	906,000
Other current assets	8	10,254,119	9,334,024
Notes forming Part of financial Statements	1-23		
Significant Accounting Policies	24		
Total		**90,313,911**	**78,902,423**

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman

Sd/
(T.N.Mohan)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 06.09.2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2013 की समाप्ति के आंकड़े	31.03.2012 की समाप्ति के आंकड़े
I **राजस्व**			
प्रचालन से प्राप्त राजस्व	**9**	84,360,000	356,100,000
अन्य आय	**10**	37,836,712	27,096,359
कुल		**122,196,712**	**383,196,359**
II **व्यय**			
परियोजना व्यय की लागत	**11**	96,823,026	347,171,757
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		–	–
माल सूची में परिवर्तन		–	–
कर्मचारी हित व्यय		–	–
वित्तीय लागत		–	–
अवमूल्यन एवं अपाकरण व्यय		–	–
अन्य व्यय	**12**	12,009,852	30,280,332
कुल		**108,832,878**	**377,452,089**
III **आपवादिक और असाधारण मदों एवं करों के पूर्व लाभ**	**(I-II)**	13,363,834	5,744,270
IV आपवादिक मदें		–	–
V असाधारण मदों और करों से पूर्व लाभ	**(III-IV)**	13,363,834	5,744,270
VI असाधारण मदें		–	–
VII कर पूर्व लाभ	**(VI-VII)**	13,363,834	5,744,270
VIII कर व्यय:			
चालू कर		4,298,274	1,750,959
आस्थगित कर		43,775	48,639
IX निरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ	**(VII-VIII)**	**9,021,785**	**3,944,672**
X अनिरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ/(हानि)		–	–
XI अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XII अनिरंतर प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XIII अवधि के लिए लाभ/(हानि)	**(IX-XII)**	**9,021,785**	**3,944,672**
प्रति ईक्विटी भोयर अर्जन: मूल और तरलीकृत		**18.04**	**7.89**

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन

ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष

ह.
(टी. एन. मोहन)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2013

PROFIT & LOSS STATEMENTFOR THE ENDED 31st MARCH 2013

Description	Note No.	Figures ended on 31.03.2013 (Rs.)	Figures ended on 31.03.2012 (Rs.)
I Revenue			
Revenue from operations	9	84,360,000	356,100,000
Other Income	10	37,836,712	27,096,359
Total		**122,196,712**	**383,196,359**
II Expenses			
Cost of Project Expenses	11	96,823,026	347,171,757
Purchase of Stock-in-Trade		-	-
Changes in inventories		-	-
Employees benefit expense		-	-
Financial costs		-	-
Depreciation and amortization expense		-	-
Other expenses	12	12,009,852	30,280,332
Total		**108,832,878**	**377,452,089**
III **Profit before exceptional and extraordinary items and tax**	(I-II)	13,363,834	5,744,270
IV Exceptional items		-	-
V **Profit before extraordinary items and tax**	(III-IV)	13,363,834	5,744,270
VI Extraordinary Items		-	-
VII **Profit before tax**	(VI-VII)	13,363,834	5,744,270
VIII **Tax expense:**			
Current tax		4,298,274	1,750,959
Deferred tax		43,775	48,639
IX **Profit (Loss) from the period from continuing operations**	(VII-VIII)	**9,021,785**	**3,944,672**
X Profit/(Loss) from discontinuing operations		-	-
XI Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XII Profit/(Loss) from Discontinuing operations		-	-
XIII **Profit/(Loss) for the period**	(IX-XII)	**9,021,785**	**3,944,672**
Earning per equity share:			
Basic and Diluted		**18.04**	**7.89**

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman

Sd/
(T.N.Mohan)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 06.09.2013

वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणियां

1 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
शेयर पूंजी प्राधिकृत		
प्रति रुपए 100/– के 10,00,000 के ईक्विटी शेयर	100,000,000	100,000,000
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रति रुपए 100/– के 5,00,000 ईक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त	50,000,000	50,000,000
कुल	**50,000,000**	**50,000,000**

2 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
राजस्व और अधिशेष		
अथ शेष	18,786,825	14,842,153
जोड़ें : लाभ और हानि लेखा	9,021,785	3,944,672
कुल	**27,808,610**	**18,786,825**

3 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
अन्य चालू देयताएं		
भुगतान योग्य स्रोत पर कर की कटौती	640,951	1,440,310
सरकारी अनुदान	6,640,000	6,000,000
दिल्ली पुलिस	789,503	789,503
आशु गुप्ता एंड कं.	56,180	54,000
भुगतान योग्य लेखापरीक्षा फीस	35,393	35,826
भुगतान योग्य व्यावसायिक प्रभार	45,000	45,000
कुल	**8,207,027**	**8,364,639**

4 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
अल्पावधि प्रावधान		
कर के लिए प्रावधान	4,298,274	1,750,959
कुल	**4,298,274**	**1,750,959**

5 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
आस्थगित कर देयताएं		
अथ शेष	43,775	92,414
घटाऐं : लाभ और हानि लेखा	43,775	48,639
कुल	**-**	**43,775**

6 विवरण	31.03.2013(रु)	31.03.2012 (रु)
नकद और नकद समकक्ष		
एसबीआई खाता सं. 825	488,497	984,142
एसबीआई खाता सं. 1075	44,386	-
एसबीआई खाता सं. 1094 में एफडीआर	57,164,543	52,750,126
एसबीआई खाता सं. 9279 में एफडीआर	13,688,180	12,602,137
एसबीआई खाता सं. 667467 में एफडीआर	-	1,486,219
एसबीआई खाता सं. 97952 में एफडीआर	-	796,000
एसबीआई खाता सं. 43887 में एफडीआर	417,000	-
एसबीआई खाता सं. 34653 में एफडीआर	5,702,000	-
कुल	**77,504,606**	**68,618,624**

7 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
ऋण और अग्रिम		
अग्रिम आयकर	2,555,186	906,000
कुल	**2,555,186**	**906,000**

Notes Forming Part of Financial Statements

1 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
SHARE CAPITAL AUTHORISED		
10,00,000 Equity shares of Rs.100 each	100,000,000	100,000,000
Issued, Subscribed and Paid up		
5,00,000 Equity shares of Rs. 100 each Fully Paid up	50,000,000	50,000,000
Total	**50,000,000**	**50,000,000**

2 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
RESERVE & SURPLUS		
Opening Balance	18,786,825	14,842,153
Add: Profit & Loss A/c	9,021,785	3,944,672
Total	**27,808,610**	**18,786,825**

3 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
OTHER CURRENT LIABILITIES		
TDS Payable	640,951	1,440,310
Government Grant	6,640,000	6,000,000
Delhi Police	789,503	789,503
Ashu Gupta & Co.	56,180	54,000
Audit Fee Payable	35,393	35,826
Professional Charges Payable	45,000	45,000
Total	**8,207,027**	**8,364,639**

4 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
RSHORT TERM PROVISIONS		
Provision for Tax	4,298,274	1,750,959
Total	**4,298,274**	**1,750,959**

5 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
DEFERRED TAX LIABLITIES (NET)		
Opening Balance	43,775	92,414
Less: During the year	43,775	48,639
Total	-	**43,775**

6 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
CASH & CASH EQUIVALENTS		
State Bank of India Account No. 825	488,497	984,142
State Bank of India Account No. 1075	44,386	-
FDR with SBI A/c – 1094	57,164,543	52,750,126
FDR with SBI A/c – 9279	13,688,180	12,602,137
FDR with SBI A/c – 667467	-	1,486,219
FDR with SBI A/c – 97952	-	796,000
FDR with SBI A/c – 43887	417,000	-
FDR with SBI A/c – 34653	5,702,000	-
Total	**77,504,606**	**68,618,624**

7 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
SHORT TERM LOANS & ADVANCES		
Advance Income Tax	2,555,186	906,000
Total	**2,555,186**	**906,000**

वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणियां

8 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
अन्य चालू आस्तियां		
प्राप्ति योग्य एफडीआर पर ब्याज	2,403,612	2,372,962
स्रोत पर कर की कटौती	1,263,425	748,610
राइट्स लिमिटेड	7,815	-
हिंदुस्तान प्रिफेब लिमिटेड	579,267	212,452
पीडब्ल्यूडी	6,000,000	6,000,000
कुल	**10,254,119**	**9,334,024**

9 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
प्रचालन से राजस्व (आय)		
प्राप्त सरकारी अनुदान	84,360,000	356,100,000
कुल	**84,360,000**	**356,100,000**

10 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
अन्य आय		
सावधि जमा पर ब्याज	12,586,905	7,440,231
आयकर पर ब्याज	-	23
अग्रिम पर ब्याज	25,249,807	19,656,105
कुल	**37,836,712**	**27,096,359**

11 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
परियोजना व्यय की लागत		
निमार्ण व्यय (पुलिस थाना)	96,823,026	347,171,757
कुल	**96,823,026**	**347,171,757**

12 विवरण	31.03.2013 (रु)	31.03.2012 (रु)
अन्य व्यय	11,560,463	29,819,744
निष्पादन और परामर्श प्रभार	60,000	79,600
कानूनी और व्यावसायी फीस	302,360	240,000
प्रतिधारण प्रभार	5,700	7,600
आरओसी फीस	-	4,600
मुद्रण और लेखन सामग्री	-	9,772
विविध व्यय	24,153	-
आयकर पर ब्याज	17,300	79,670
स्रोत पर कर की कटौती पर ब्याज	39,326	39,326
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	550	20
बैंक प्रभार		
कुल	**12,009,852**	**30,280,332**

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन
ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2013

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष

ह.
(टी. एन. मोहन)
प्रबंध निदेशक

Notes Forming Part of Financial Statements

8 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
OTHER CURRENT ASSETS		
Interest on FDR Receivable	2,403,612	2,372,962
Tax Deducted at Sources	1,263,425	748,610
Rites Ltd	7,815	-
Hindustan Prefab Ltd.	579,267	212,452
PWD	6,000,000	6,000,000
Total	**10,254,119**	**9,334,024**

9 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
REVENUE FROM OPERATIONS		
Government Grant Received	84,360,000	356,100,000
Total	**84,360,000**	**356,100,000**

10 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
OTHER INCOMES		
Interest on term deposit	12,586,905	7,440,231
Interest on Income Tax	-	23
Interest on Advance	25,249,807	19,656,105
Total	**37,836,712**	**27,096,359**

11 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
COST OF PROJECT EXPENSES		
Construction Exp. (Police Station)	96,823,026	347,171,757
Total	**96,823,026**	**347,171,757**

12 PARTICULARS	As at 31.03.2013 (Rs.)	As at 31.03.2012 (Rs.)
OTHER EXPENSES		
Execution & Consultancy Charges	11,560,463	29,819,744
Legal & Professional Fees	60,000	79,600
Retainership Charges	302,360	240,000
ROC Fees	5,700	7,600
Printing & Stationery Exp.	-	4,600
Misc. Expenses	-	9,772
Interest on Income Tax	24,153	-
Interest on TDS	17,300	79,670
Auditors Remuneration	39,326	39,326
Bank Charges	550	20
Total	**12,009,852**	**30,280,332**

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman

Sd/
(T.N.Mohan)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 06.09.2013

वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणियां

13. वर्ष 2008–09 के रु. 7,87,028/– के प्राथमिक व्यय को बट्टे खाते में डाला गया है। आयकर अधिनियम, 1956 के अनुसार प्राथमिक व्यय पांच समान किश्तों में अनुमत्य है जिसका परिणाम आस्थगित कर या कहें आस्थगित कर के प्रत्यावर्तन में होता है।

14. कंपनी को पुलिस आधुनिकीकरण निधि में से पुलिस थाना के निर्माण/आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है। कंपनी इन अनुदानों को राजस्व अनुदान मान रही है और इन अनुदानों में से एचपीएल और राइट्स लिमिटेड को किए गए सभी भुगतानों को कार्य की पूर्णता की डिग्री के आधार पर कार्यशील पूंजी के अनुसार मानने के बजाए लाभ और हानि लेखे में निर्माण व्यय तथा निष्पादन एवं परामर्श प्रभार शीर्ष के अंतर्गत नामे किया गया है। कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान रु 8.43 करोड़ का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ तथा इस अनुदान के किए गए सभी भुगतानों को निर्माण लागत संबंधी व्यय के रूप में दिखाया गया है।

15. कंपनी को 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के अंत में आधुनिकीकरण एवं आवास के लिए गृह मंत्रालय से रु.60 लाख की राशि प्राप्त हुई और वर्ष के अंत में रु 8.43 करोड़ के अनुदान में से रु 6.40 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान उपयोग के लिए लंबित रहा। उसे तुलन–पत्र में चालू देयताओं में दिखाया गया है क्योंकि लाभ और हानि लेखे में प्रणालीबद्ध आधार पर मान्यता नहीं दी गई, समयावधि के बाद संबंधित लागतें, जो लेखा मानक–12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करने के लिए, के साथ मिलान करना आवश्यक है।

16. वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी को मैसर्स एचपीएल और राइट्स लि. द्वारा उन्हें पुलिस थाना के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए दिए अग्रिम पर रु. 2,52,49,807/– का ब्याज प्रदान किया गया है। कंपनी ने इन ब्याजों को अन्य आय शीर्षांतर्गत गिना है तथा इस राशि को परियोजना की निर्माण लागत के शीर्ष के तहत नामे भी किया है।

17. देनदार/अग्रिम और लेनदार समाधान के अधीन हैं।

18. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

19. लेखा मानक–15 कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि कंपनी के अपने कोई कर्मचारी नहीं हैं।

Notes Forming Part of Financial Statements

13. The preliminary expenses Rs.7,87,028/- were written off during the previous year. As per Income Tax Act, 1956 Preliminary Expenses are allowed in five equal instalments which result in deferred tax Liability or say reversal of deferred tax assets.

14. The Company is receiving Government Grants for the Purpose of Construction/ Modernization of Police Stations out the Police Modernisation Fund. The Company is treating these grants as revenue grant for all payments made out of these grant to HPL & Rites Limited has been debited under the head Construction Expenses and Execution & Consultancy Charges in Profit & Loss Account instead of treating them as Capital Work in Progress on the basis of degree of completion of work. During the financial year the company received Rs.8.43 Crore Government Grants and all payments against this grant is shown as expenditure relating to Construction Cost.

15. The Company has received grant in aid amounting to Rs.60 lacs from Ministry of Home Affairs for modernisation and housing purpose at the end of the year on 31.03.2011 unutillized grant of Rs 6.40 lacs out of the 8.43 crore was pending for utilization at the year end. The same is shown in current liabilities in the balance sheet as it is recognized on a systematic basis in the profit & loss statement over the periods necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per accounting standard-12.

16. The M/s HPL & Rites Ltd. has provided the interest for Rs.2,52,49,807/- during the financial year 2012-13 to the company on the advances given for construction and modernization of Police Station to them. The Company has accounted these interests under the head of other Income and also debited such sum under the head of cost of constructions of project.

17. The Debtors/Advances and Creditors are subject to reconciliation.

18. There is no Contingent liability of the Company.

19. AS-15 is not applicable to the company since the company does not have any employee its own.

20. प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्न है:

20. The details of Management Personnel are as follows:

क्रसं0 S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री वाई. एस. डडवाल Sh. Y.S. Dadwal	अध्यक्ष Chairman	16/11/2007	10/11/2010
2.	श्री बी. के. गुप्ता Sh. B.K. Gupta	अध्यक्ष Chairman	16/12/2010	03/09/2012
3.	श्री दीप चन्द Sh. Deep Chand	प्रबंध निदेशक Managing Director	13/07/2009	31/03/2010
4.	श्री नीरज कुमार Sh. Neeraj Kumar	प्रबंध निदेशक Managing Director	01/04/2010	22/11/2010
5.	श्री टी. एन. मोहन Sh. T.N. Mohan	प्रबंध निदेशक Managing Director	16/12/2010	जारी Continuing
6.	श्री अजय चगती Sh. Ajay Chagti	गृह सचिव Secretary Home	02/09/2011	22/06/2012
7.	श्री अरुण गोयल Sh. Arun Goel	निदेशक Director	02/09/2011	03/09/2013
8.	डॉ. शब्द प्रकाश बंसल Dr. Shabd Prakash Bansal	निदेशक Director	16/11/2007	जारी Continuing
9.	श्री एम. जी. रेड्डी Sh. M.G. Reddy	निदेशक Director	22/12/2010	23/03/2012
10.	डॉ. ए. के. सक्सेना Dr. A.K. Saxena	निदेशक (दिल्ली) गृह मंत्रालय Director (Delhi) MHA	22/06/2012	जारी Continuing
11.	श्री नीरज कुमार Sh. Neeraj Kumar	अध्यक्ष Chairman	03/09/2012	31/07/2013
12.	श्री भीम सेन बस्सी Sh. Bhim Sain Bassi	अध्यक्ष Chairman	01/08/2013	जारी Continuing
13.	डॉ. डी. आर. टम्टा Dr. D. R. Tamta	गृह सचिव Secretary Home	17/12/2012	08/02/2013

21. कंपनी ने आस्थगित कर की लेखा गणना आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना मानक–22 के अनुसार की है तथा तद्नुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को मान्यता दी गई है।

विशेष समय अंतराल के कर के प्रभाव का परिणाम आस्थगित कर आस्तियां हैं और उससे संबंधित मदों के ब्योरे जिन अंतरों को बनाते हैं वह इस प्रकार हैः

21. The Company has accounted for Deferred Tax in accordance with Accounting Standard-22. Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized.

The tax effect of significant timing difference that results in deferred Tax Assets and description of items thereof that creates these differences is as follows:

(राशि रुपयों में /Amount in Rs.)

विवरण	Particulars	As on 31.03.2013 को	As on 31.03.2012 को
आस्थगित कर आस्तियां – प्राथमिक व्यय को बट्टे खाते में डालने का समय अंतरात	Deferred Tax Assets -Timing difference in writing off of Preliminary exp	शून्य /NIL	43,775.00

22. प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन की गणना लेखा के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को घटाकर की जाती है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या द्वारा ईक्विटी शेयर धारकों के लिए माना जा सके।

22. Basic/Diluted earning per share has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity shareholder by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

(राशि रुपयों में /Amount in Rs.)

प्रति शेयर अर्जन	Calculation of EPS	As on 31.03.2013 को	As on 31.03.2012 को
(क) वर्ष के लिए निवल लाभ	a) Net Profit for the year	90,21,785.00	39,44,672.00
(ख) ईक्विटी शेयरों की संख्या	b) No. of equity Shares	5,00,000.00	5,00,000.00
(ग) प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन	c) Basic/Diluted EPS (a/b)	18.04	7.89
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य	d) Nominal Value per share	100.00	100.00

23. कंपनी की लघु उद्योगों/ उपक्रमों के पक्ष में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

23. The Company has no outstanding liability to wards small- scale Industries/undertakings.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एडं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन
ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2013

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.	ह.
(भीम सेन बस्सी)	**(टी. एन.मोहन)**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Place : New Delhi
Date : 06.09.2013

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-	Sd/
(Bhim Sain Bassi)	**(T.N.Mohan)**
Chairman	Managing Director

24. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) <u>वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार</u>

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रस्तुति की प्रासंगिक आवश्यकता का पालन करते हैं।

ख) <u>स्थायी आस्तियां</u>

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई।

ग) <u>मूल्याह्रास</u>

कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई, अतएव वर्ष के दौरान, कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया।

घ) <u>चालू देयताएं</u>

आरंभिक खर्चों और अन्य व्ययों को दिल्ली पुलिस द्वारा वित्तपोषित किया गया है और जिसे उन्हें अदा किया जाना है, क्योंकि चालू देयताएं माना गया है।

ङ) <u>आय (राजस्व) मान्यता नीति</u>

आय को जब कभी अर्जित किया जाएगा मान्यता दी जाएगी।

च) <u>करों के लिए लेखांकन</u>

i) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में कर अदायगी की राशि पर चालू कर निर्धारित किया है।

ii) आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि समय के अंतर पर, कर योग्य आय और लेखांकन आय में अंतर होने के कारण आस्थगित कर आस्ति के संबंध में विवेक का विचार किया जाता है जो एक अवधि में बनता है तथा वह अनुवर्ती एक अथवा अधिक अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य है एवं जिसे कर दरों व अधिनियमित कानूनों का प्रयोग कर मापा जाता है।

छ) <u>सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन</u>

कंपनी को सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण निधि में से पुलिस थाना के निर्माण और आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है। कंपनी इन अनुदानों को राजस्व अनुदान माना है तथा इन अनुदानों में एचपीएल और राईट्स लिमिटेड को किए गए सभी भुगतानों को कार्यपूर्णता की डिग्री के आधार पर कार्यशील पूंजी के रूप में मानने के बजाय लाभ और हानि के लेखे में निर्माण व्यय तथा निष्पादन और परामर्श प्रभार के शीर्ष के अंतर्गत बुक किया गया है।

24. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) <u>BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS</u>

Accounting Convention – The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to the relevant presentation requirement of the Companies Act, 1956.

b) <u>FIXED ASSETS</u>

No Fixed Assets Purchased during the year.

c) <u>DEPRECIATION</u>

There is no Fixed Assets Purchased hence no depreciation charged during the year.

d) <u>CURRENT LIABILITIES</u>

Preliminary Expenses and Other Expenses financed by Delhi Police and payable to them are considered as Current Liabilities.

e) REVENUE RECOGNITION POLICY

Income is recognized as and when accrued.

f) <u>ACCOUNTING FOR TAX</u>

i) Current tax is determined on the amount of tax Payable in respect of taxable income as per the provisions Income Tax Act,1961.

ii) The Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence in respect of deferred tax Assets, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable or reversal in one or more subsequent periods and measured using the tax rates and laws enacted.

g) <u>ACCOUNTING OF GOVERNMENT GRANTS</u>

The Company has been receiving Government Grants for the purpose of construction /Modernization of Police Stations out of the Police Modernisation fund. The Company is treating these grants as revenue grants and all the payments made out of these grant to HPL & Rites Limited has been booked under the head Construction expenses and Execution & Consultancy Charges in profit and loss account instead of treating them as Capital working progress on the basis of degree of completion work.

ज) **निवेश**

निवेश, आसानी से मूल्य पाने योग्य हो तथा जिस तारीख को निवेश किया गया है उससे एक वर्ष से अधिक के लिए न हो तथा चालू निवेश में वर्गीकृत हो। अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दीर्घावधि निवेश को लागत पर लिया जाता है। अस्थायी से इतर निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान को जहां कहीं लागू है, लागू किया गया।

झ) **प्रावधान**

माप में अनुमानों की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जहां घटना के परिणामस्वरूप दायित्व होता है तथा यह संभव हो कि वहां स्रोत का बहिर्वाह होगा। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है लेकिन लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। आकस्मिक आस्तियों को ना ही मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणिका में प्रकट किया गया है।

ञ) **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना और उसका प्रकटीकरण अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की प्रति शेयर भारित औसत संख्या का प्रयोग कर की जाती है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन की गणना और उसका प्रकटीकरण, जब परिणाम तरलीकृत हो उसे छोड़कर, अवधि के दौरान बकाया शेयरों के समकक्ष ईक्विटी और तरलीकृत ईक्विटी की भारित औसत संख्या का प्रयोग किया जाता है।

h) **INVESTMENTS**

Investments, which are readily realizable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as Long term investments. Long term investments are carried at cost. Provision for diminution in value of investment other than temporary is made wherever applicable.

i) **PROVISIONS**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither Recognized nor disclosed in the financial statements.

j) **EARNING PER SHARE**

Basic earnings per share is computed and disclosed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. A dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period, except when the results would be anti-dilutive.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन
ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2013

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.	ह.
(भीम सेन बस्सी)	**(टी. एन. मोहन)**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Place : New Delhi
Date : 06.09.2013

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-	Sd/
(Bhim Sain Bassi)	**(T.N.Mohan)**
Chairman	Managing Director

सुंदर शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

SUNDER SHARMA & Co.
Chartered Accountants

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

1. हमने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2012 का संबद्ध तुलन–पत्र तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि के लिए उक्त कंपनी के लाभ और हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंध तंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेक्षापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जांच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाग गए लेखांकन सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में इसके साथ विवरण संलग्न करते हैं।

4. इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

AUDITOR'S REPORT

THE MEMBERS

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

1. We have audited the attached Balance Sheet of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED as at 31st March, 2013 and the Profit & Loss Account of the said company for the year ended on 31st March, 2013. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express and opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. As required by the Companies (Auditor's Report) order 2003 (as amended) issued by Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the said Order.

4. Further, we report that:

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

कार्यालय:191, गली बताशां, चावड़ी बाज़ार, दिल्ली–110006
ई–मेल: Sunderjoti@gmail.com, Sunderjoti@yahoo.co.in
फोन : 011-23278739,24504577 मोबाईल : 9899728700

Office : 191, Gali Batashah Chawari Bazar, Delhi – 110006
e mail : Sunderjoti@gmail.com, Sunderjoti@yahoo.co.in
Phone : 011-23278739,24504577 Mobile : 9899728700

ख) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हैं।

ग) लेखों के भाग की टिप्पणी की मद सं.14 व 16 राइट्स लि. और एचपीएल को किया गया भुगतान निर्माण के लिए था।

घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखा खाता बहियों से मेल खाते हैं।

ङ) हमारी राय में कंपनी के इस रिपोर्ट के साथ के लाभ–हानि लेखा तथा तुलन–पत्र में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 उप–धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों का पालन किया गया है।

च) 31 मार्च, 2013 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर और निदेशकों द्वारा रिकॉर्ड करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च, 2013 को कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) की धारा 274(1) उपधारा (जी) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

छ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संबद्ध लेखा, कंपनी अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित उक्त लेखा, उसके साथ में पठित टिप्पणियों के साथ यथा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं;

(क) 31 मार्च, 2013 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के मामले में, और

(ख) 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा के मामले में।

ह.
सीए सुंदर शर्मा
भागीदार
कृते उनकी ओर से **सुंदर शर्मा एंड कं.**
सनदी लेखाकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2013

b) In our opinion, proper books of Accounts as required by the Companies Act, 1956 (as amended) have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

c) Subject to point no. 14 to 16 of notes forming part of accounts regarding payments made to Rites Limited and HPL Limited towards the construction.

d) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the said books of account.

e) In our opinion, the Profit & Loss Account and the Balance Sheet dealt with by this report are in compliance with the Accounting Standards referred to sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956, in so far as they are applicable to the company.;

f) On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2013 and taken on record by the board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on March 31, 2013 from being appointed as a director of the company under clause (g) of subsection 1 of section 274 of the Companies Act, 1956 (as amended).

g) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the annexed Accounts subject to and read with the Notes thereon give the information required by the Companies Act 1956 (as amended), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

i) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2013; and

ii) In the case of the Profit & Loss Account, of the Company for the period ended on 31st March, 2013.

CA SUNDER SHARMA
Partner
For and on behalf of **SUNDER SHARMA & CO.**
Chartered Accountants

Place : New Delhi
Date :06.09.2013

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के पैरा 3 में संदर्भित अनुलग्नक

(i) यह मद सं. कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ii) यह मद सं. कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई माल सूची नहीं है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को/से प्रतिभूत/अप्रतिभूत न किसी को ऋण प्रदान किया न लिया।

(iv) हमें स्पष्ट किया गया कि माल और अचल संपत्ति एवं माल एवं सेवाएं खरीदने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कार्य निष्पादन एजेंसियों मैसर्स राइट्स और मैसर्स एचपीएल के माध्यम से करवाया जा रहा है जिनकी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित किसी संविदा अथवा करार में कंपनी शामिल नहीं हुई।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।

(vii) कंपनी की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है। यह हमें स्पष्ट किया गया कि क्योंकि कंपनी अपना कार्य निष्पादन एजेंसियों मैसर्स राइट्स और मैसर्स एचपीएल के माध्यम से करवाती है इसलिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता नहीं है।

(viii) कंपनी की गतिविधि के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण विनिर्धारित नहीं किया है।

(ix)(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, उपकर और अन्य सांविधिक देयों के संबंध में लागू अनुसार भुगतान योग्य अविवादित राशि को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31.03.2013 को भुगतान योग्य होने की तारीख से छः माह से अधिक की अवधि के लिए ऐसी कोई सांविधिक देय के संबंध में कोई अविवादित राशि नहीं है।

ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH 3 OF OUR REPORT OF EVEN DATE.

(i) This Point is not applicable to the Company as Company had no fixed assets during the period of audit.

(ii) This Point is not applicable to the Company as Company had no inventory during the period of audit.

(iii) According to the information and explanation given to us, the Company has neither granted nor taken any loan, secured or unsecured to/from companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the period of audit.

(iv) It was explained to us that there is no need of internal control systems for purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services as if is getting its work done through executing agencies M/s Rites and M/s HPL which have their own internal control systems.

(v) According to the information and explanation given to us, Company did not enter into any contract or arrangement referred to in Section 301 of the Act.

(vi) According to the information and explanation given to us, the Company has not accepted any deposit from the public.

(vii) The Company is not having any internal Audit system. It was explained to us that since The company is getting all its work done through executing agencies M/s RITES and M/s HPL as such there is no need of internal control system.

(viii) the Central Government has not prescribed maintenance of Cost records under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 in respect of the activities of the Company.

((ix) (a)According to the information and explanations given to us, in our opinion the Company is regular in depositing undisputed amount payable in respect of Income Tax, Wealth Tax, Sales Tax, Excise Duty, Employee's State Insurance, Service Tax, Cess and other statutory dues as applicable with appropriate authorities.

b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts in respect of such statutory dues were outstanding as at 3103.2013 for a period of more than six months from the date they became payable.

(x) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रख कर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया गया।

(xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमारी राय में, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेन अथवा देन नहीं कर रही है। तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4 (xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है।

(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर बनाई गई निधियों का उपयोग नहीं किया है।

(xviii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने पार्टियों को वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आती है।

(xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(xx) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के रूप में कोई धन नहीं उठाया है।

(xxi) हमारी राय में ओर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें, वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना न दिखी अथवा रिपोर्ट की गई जिससे वित्तीय विवरणों का भौतिक रूप से मिथ्या होने पर प्रभाव पड़े।

कृते सुंदर शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन
ह.
(सीए. सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2013

(x) Not applicable to the Company.

(xi) Not applicable to the Company.

(xii) According to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

(xiii) Not applicable to the Company.

(xiv) In our opinion, the Company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments. According, the provisions of clause 4(xiv) of the Companies (Auditors' Report) Order 2003 are not applicable to the Company.

(xv) According to information and explanations given to us, Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions.

(xvi) Not applicable to the Company.

(xvii) According to information and explanations given to us, the Company has not utilised funds raised on short term basis towards long term investments.

(xviii) According to information and explanation given to us, the Company has not made any preferential allotment of shares during the year to the parties and companies covered in the Register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.

xix) According to the information and explanation given to us, the Company has not issued debentures during the year.

(xx) According to the information and explanation given to us, the Company has not raised any money by way of public issue during the year.

(xxi) In our opinion, and according to the information and explanations given to us, no fraud on or by the company, noticed or reported during the year, that causes the financial statements to be materially misstated.

For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Place : New Delhi
Date :06.09.2013

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – IV नई दिल्ली

गोपनीय

सं.161–पीडीसीए / एमएबी–IV / एचएस / ए / एसी / डीपीएचसीएल / 13–14

दिनांक : 27.09.2013

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के–ब्लॉक, विकास भवन
आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली–110002

विषय : भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619(4) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

मैं **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

ह.
(अत्रेयी दास)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–IV

संलग्नकः उपरोक्त

आठवां व नवां तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स : 23239416
ई–मेल : mabNewdelhi4@cag.gov.in

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member, Audit Board-IV, New Delhi.

Confidential

No.161-PDCA/MAB-IV/HS/A/cs/DPHCL/13-14
Dated: 27 .09.2013

To

The Managing Director,
Delhi Police Housing Corporation Limited
K- Block, Vikas Bhawan,
I.P Estate,
New Delhi- 110002.

Sub: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31 March 2013.

Sir,

I am to enclose herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2013.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above

Atreyee Das
27/9/13

(Atreyee Das)
Pr. Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
Tel. / दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स / Fax : 23239416.
ईमेल / Email : mabNewdelhi4@cag.gov.in

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार दिल्ली पुलिस आवास **निगम लिमिटेड** की 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी की प्रबंधन समिति का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित मानक आश्वासनों को देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी **20.09.2013** की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजात देखे बिना की गई है तथा यह प्राथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे ध्यान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

ह.

(अत्रेयी दास)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड –IV

स्थान :
दिनांक :

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2013.

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on the independent audit in accordance with the Auditing and Assurance Standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **20.09.2013.**

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619 (3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2013. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the Comptroller
and Auditor General of India

27/9/13

(Atreyee Das)
Pr. Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Place:
Dated:

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के—ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली—110002

दूरभाष : 011-23490357 ई—मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com